

पत्रसंख्या-फार्म/सचल दल अनुभाग -फार्म-38 व्यवस्था /2011-12/ 11/2014/26 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(फार्म अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 04 मई, 2011

आदेश

मुख्यालय के पत्रसंख्या -चेकपोस्ट अनुभाग -फार्म -38 व्यवस्था /09-10/293/ वाणिज्य कर दिनांक 28-01-2010 द्वारा विभागीय वेबसाइट से फार्म -38 डाउनलोड करने वाली फर्मों के सम्बन्ध में यह निर्देश जारी किये गये थे कि जिन फर्मों का वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है तथा जिनके सम्बन्ध में करापवंचन किये जाने अथवा फार्म -38 का दुरुपयोग किये जाने का कोई प्रमाण नहीं है उनके द्वारा यदि डाउनलोड की सीमा असीमित किये जाने की प्रार्थना की जाती है, तो कर निर्धारण अधिकारी व ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) की संस्तुति प्राप्त होने पर उन्हें मुख्यालय से असीमित फार्म -38 डाउनलोड की सुविधा प्रदान कर दी जायेगी।

2. व्यापारियों द्वारा निरन्तर यह माँग की जा रही है कि उनके टर्नओवर के आधार पर नहीं बल्कि उनके व्यवसाय की आवश्यकता को देखते हुए फार्म- 38 डाउनलोड करने की सीमा निर्धारित की जाये। इस संदर्भ में विचारोपरान्त यह पाया गया कि यदि किसी व्यापारी की फार्म -38 की आवश्यकता वास्तव में अधिक है तो मात्र उसका टर्नओवर ₹ 50 करोड़ से कम होने के आधार पर उसे पर्याप्त मात्रा में फार्म -38 डाउनलोड करने की सुविधा से वंचित रखा जाना उचित नहीं है। अतः शासन के पत्र संख्या-क0नि0-452/11-2-2011-9(207)/ 09 दिनांक 13-04-11 से प्राप्त सहमति के आधार पर फार्म -38 डाउनलोड की पूर्व व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि यदि व्यापारी अपना टर्नओवर ₹ 50 करोड़ से कम होने के बावजूद अपनी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अधिक फार्म -38 डाउनलोड करने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष करता है तो कर निर्धारण अधिकारी ऐसे मामलों का परीक्षण करते हुए अपनी संस्तुति अपने संभाग के ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) को भेजेंगे। ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) ऐसे प्राप्त मामलों का तथ्यों के आधार पर परीक्षण करते हुए व्यापारी को फार्म -38 के न्यूनतम स्लैब से हटाकर उच्चतर स्लैब में डालने का निर्णय लेंगे एवं सर्वर पर अपनी login से व्यापारी की फार्म -38 डाउनलोड करने की सीमा में परिवर्तन करेंगे। यह व्यवस्था निम्न प्राविधानों के अधीन रहेगी :-

1. फर्म कम से कम एक वर्ष पुरानी हो और उसके कम से कम 12 माह के रुपपत्र -24 दाखिल हो गये हों।
2. उनके विरुद्ध करापवंचन अथवा फार्म -38 का दुरुपयोग करने की कोई सूचना न हो।
3. यह सुविधा संवेदनशील वस्तुओं, जिन्हें कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा चिन्हित किया जाये, पर अनुमन्य नहीं होगी।
4. अग्रिम कर जमा करके फार्म -38 प्राप्त करने वाले व्यापारियों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
5. फार्म -38 की डाउनलोडिंग के लिए वर्तमान में प्रचलित दो स्लैब्स के स्थान पर अब निम्नलिखित चार स्लैब्स होंगे :-
 - (i) प्रतिदिन 10 फार्म-38 की दर से अधिकतम 100 फार्म।
 - (ii) प्रतिदिन 50 फार्म -38 की दर से अधिकतम 500 फार्म।
 - (iii) प्रतिदिन 500 फार्म -38 की दर से अधिकतम 5000 फार्म।

(iv) असीमित डाउनलोड ।

व्यापारी क्रमांक (i) से (iii) तक के स्लैबों में निर्धारित अधिकतम संख्या में फार्म-38 डाउनलोड करने के पश्चात आगे फार्म तभी डाउनलोड कर सकेगा जब उसके द्वारा डाउनलोड किये गये फार्मों में से कम से कम 60% फार्मों के उपयोग का विवरण वेबसाइट पर प्रस्तुत कर दिया गया हो । उक्त सुविधा का दुरुपयोग किये जाने का तथ्य यदि प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे तत्काल इसकी सूचना ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) को दें, ताकि उनके द्वारा तत्काल इस सुविधा से व्यापारी को वंचित किये जाने की कार्यवाही की जा सके ।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) को भेजते समय निम्न विवरण अनिवार्य रूप से प्रेषित किये जायेंगे :-

1	फार्म का नाम
2	टिन नम्बर
3	पंजीयन की प्रभावी तिथि
4	वस्तु का नाम जिसमें व्यापार होता है ।
5	विगत तीन माह की फार्म -38 की खपत
6	विगत एक वर्ष में दाखिल नक्शों में घोषित टर्नओवर
7	किस स्लैब में डाउनलोडिंग की सुविधा की प्रार्थना की गयी है ।
8	अधिकारी की संस्तुति

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(सं. प्र. भा. नु.)
कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्रसंख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
2. अध्यक्ष /निबन्धन उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
3. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
4. समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/अपील) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
6. एडीशनल कमिशनर (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान गोमती नगर लखनऊ ।
7. समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक/वि०अनु०शा०/उ०न्या०कार्य०/सर्वो०न्या०कार्य०) वाणिज्य कर उ०प्र० ।
8. समस्त डिप्टी कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त असिस्टेंट कमिशनर /वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10. समस्त अनुभाग अधिकारी /अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ ।

11. प्रबन्धक ,इसेंटिव, पिकप ,राणाप्रताप मार्ग, /सहायक निदेशक ,वाणिज्य कर ,प्रशिक्षण संस्थान गोमती नगर ,लखनऊ ।
12. महालेखाकार ,171-ए ,अशोक नगर ,इलाहाबाद ।
13. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
14. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल ,रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिसआफ द ए0जी0 आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद ।
15. विकास आयुक्त , नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर -10 नोएडा ।
16. अध्यक्ष ,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0 ,185 /293 ,अमीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ ।
17. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी -15 मालएवेन्यू ,लखनऊ ।
18. श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ,87/349 ,आर्यानगर ,संगीत टाकिज के पीछे , कानपुर ।
19. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार प्रतिनिध मंडल, कंछल कुंज,66 शास्त्री नगर ,लखनऊ ।
20. श्री संदीप बंसल ,सदस्य राज्यस्तरीय वाणिज्य कर सहालाहाकर समिति 29-बी ,विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ ।
21. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 ,सिविल लाइन्स ,कानपुर ।
22. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 4/180 ,विशाल खण्ड ,पी0वी0-17,गोमती नगर लखनऊ ।
23. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंड0 1-ए ला-प्लास, शाहनजफ रोड ,लखनऊ ।
24. अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
25. आल इंडिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4,साइट सं0 -3 ,मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया ,गाजियाबाद ।
26. कनफेडरेशन आफ इण्डियन इंड0 एसो0 ,प्लॉट -ए विभूति खण्ड ,गोमतीनगर ,लखनऊ ।
27. राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहाकार समिति के सदस्यों को सम्बन्धित जवाइन्ट कमिशनर (कार्य0)के माध्यम से ।
28. उत्तर प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स ,सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
29. श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस ,आर0-15/5 राजनगर ,गाजियाबाद ।
30. श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशनस ,RDC-51 राजनगर ,गाजियाबाद ।
31. श्री मदन मोहन भारतीय, एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन, 26/103 ,बिरहाना रोड, कानपुर ।
32. प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़ 15, टैगोर टाउन ,इलाहाबाद ।
33. श्री उमंग अग्रवाल ,जनरल सेक्रेटरी (FTTA) 77/3 ए एन0 के0 जैन मार्केट ,कुली बाजार ,कानपुर ।
34. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ,707 ,पंचशील कालोनी ,महाबीर चौक, मु0नगर ।
35. श्री आर0 डी0 गुप्ता , एडवोकेट ,आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
36. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल ,उत्तर प्रदेश ,19-सुरेशबाग ,कानपुर ।
37. इन्डियन इंड0 एसो0 ,159/ए -8 ,15 प्रकाश मार्केट ,लाला लाजपत राय चौक ,मु0नगर ।

38. संयोजक ,टैक्सेशियो ऐकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरस एसो0 वेस्टर्न यू0पी0 (रजि0)52 नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड ,मेरठ ।
39. टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशयल टैक्स बार रुम ,जयपुर हाऊस ,आगरा ।
40. श्री मलिक विजय कपूर ,चेयरमैन ,कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 50-बी ,उद्योग नगर ,कानपुर ।
41. श्री अनिल कुमार बंसल, दि यू0पी0 रोलर फ्लोर मिलर्स ,एसो0 -3 एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
42. श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58 -ए शक्कर पट्टी ,कानपुर ।
43. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565 /566 ,राजेन्द्र नगर ,लखनऊ ।
44. माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहाकार समिति, सचिवालय ,लखनऊ ।
45. श्री गोपाल अग्रवाल ,राष्ट्रीय महामंत्री आल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 27-ए मिशन कम्पाउन्ड ,मेरठ ।
46. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6 -ए बी0एन0 रोड अमीनाबाद ,लखनऊ ।
47. अध्यक्ष, आई0आई0 ए0 इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड ,फेस -2, गोमती नगर ,लखनऊ ।
48. वैट लॉ जनरल ,10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड, मेरठ ।
49. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल ,मंडल उपाध्यक्ष ,अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) मंडल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस ।
50. फार्म अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियाँ अतिरिक्त ।


(एम0 के0 श्रीवास्तव)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स0द0/फार्म)वाणिज्य कर
मुख्यालय,लखनऊ ।